

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

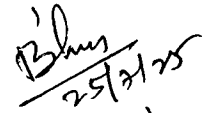
सं०सं०-2/एल०-45/2025-

1290(2)
/स्वा०,

पटना, दिनांक 28/7/2025

डा० अमरेन्द्र कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागँव, सारण के द्वारा दिनांक-01.06.2024 से 30.06.2024 तक कुल-30 (तीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापाक-2066(25), दिनांक-24.12.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-45/2025-

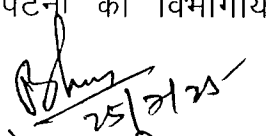
1290(2)

पटना, दिनांक 28/7/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सारण/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागँव, सारण/ डा० अमरेन्द्र कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयागँव, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।